UPKJ010017582024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०–1, कन्नौज।

उपस्थित– श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–524/2024

उत्तर प्रदेश सरकार ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह,
निवासी–ग्राम विनौरा रामपुर तिर्वा कोतवाली तिर्वा, जनपद कन्नौज।............**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्या–1019/2021
धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के **मुकदमा अपराध संख्या–1019/2021** में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त **धर्मेन्द्र सिंह** के विरुद्ध **धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003** का अपराध आरोपित है।

2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता राजीव कुमार गंगवार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर **(प्रदर्श क–1)** के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 27.07.2021 को अपराह्न समय लगभग 12.30 से 12.40 बजे तक उच्चाधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गयी। जांच टीम में मैं स्वयं राजीव कुमार गंगवार अवर अभियंता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तिर्वा, सुधांशू श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उ०ख० तिर्वा, संतोष कुमार टी०जी०–2 एवं संविदा लाइनमैन प्रदीप कुमार के साथ उपभोक्ता धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी विनौरा रामपुर तिर्वा कन्नौज संयोजन संख्या–781706778351 द्वारा पूर्व में बकाये पर काटे गये संयोजन को पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुये पाया गया। अतः मुल्जिम उपरोक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए।

3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त **धर्मेन्द्र सिंह** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 13.01.2026** को अभियुक्त **धर्मेन्द्र सिंह** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 संतोष कुमार टी.जी.–2 को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में चेकिंग

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.03 16:53:33 IST
Reason: ACCUSED AQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

रिपोर्ट को **प्रदर्श क–2** व तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** प्रदर्शांकित किया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

7. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–1 संतोष कुमार टी.जी.–2** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.07.2021 को अपराह्न समय लगभग 12.30 बजे से 12.40 बजे तक तक उच्चाधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ता के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गई। जांच टीम में मैं व राजीव कुमार गंगवार अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र तिर्वा व सुधांशु श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी तिर्वा व संविदा लाइनमैन प्रदीप कुमार के साथ उपभोक्ता का पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बगैर भुगतान किये अवैध रूप से जुड़ा एंव चालू पाया गया। उपभोक्ता का एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है। अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी बिनौरा रामपुर तिर्वा कन्नौज संयोजन संख्या 781706778351 बकाया धनराशि 58,685/–रुपये पर पूर्व में बकाया पर काटे गये कनेक्शन को पुनः संयोजन को जोड़कर विद्युत का उपभोग करते पाया गया। घटना स्थल से वापस उपकेन्द्र तिर्वा कार्यालय आकर वादी राजीव कुमार गंगवार ने अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमपाल के विरूद्ध धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के तहत कम्प्यूटर द्वारा प्रोफार्मा तैयार कराकर व अपने हस्तलेख में अभियुक्त का नाम पता भरकर अपने हमराही सुधांशू श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी व प्रदीप कुमार संविदा लाईनमैन व मुझे तहरीर पढ़कर सुनाई व हम लोगों से तहरीर पर हस्ताक्षर कराये। वादी राजीव कुमार गंगवार अवर अभियन्ता ने तहरीर पर हस्ताक्षर करके थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज पर तहरीर देकर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। पत्रावली में मौजूद मूल तहरीर कागज संख्या4ए/6 पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। चेकिंग रिपोर्ट घटना स्थल पर ही तैयार की गई थी जो पत्रावली मौजूद है जिसपर कागज संख्या–4ए/3 लगायत 4ए/4 पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। अभियुक्त का संयोजन बकाया 45,091 रुपये पर विच्छेदन किया गया था। विच्छेदन स्लिप पत्रावली में संलग्न है। इस मुकदमे के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी **पी०डब्लू०–1 संतोष कुमार टी.जी.–2** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग व समस्त बकाया बिल समन शुल्क व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है। मुकदमा समाप्त किये जाने कोई आपत्ति नहीं है।**

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–1 के बयान से यह विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने से इंकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य साक्ष्य पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित वादी मुकदमा के साथ–साथ अन्य शेष साक्षीगणों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त

के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू–1 संतोष कुमार टी.जी.–2 संतोष कुमार के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

9. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

12. धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

13. धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्य से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

14. पत्रावली में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्रांक दिनांकित 19.02.2026 में यह अंकित है कि **उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम विनौरा रामपुर तिर्वा थाना तिर्वा जिला कन्नौज के विरुद्ध पंजीकृत अपराध में बकाया विद्युत बिल रसीद संख्या–605701685297 दिनांक 10.12.2025 को जमा कर दिया है एवं पंजीकृत अपराध का राजस्व निर्धारण बिजली बिल राहत योजना 2025 में मु०–2,000/–रूपये का पंजीकरण रसीद संख्या 333876299713 दिनांक 23.12.2025 द्वारा एवं एकमुश्त राजस्व निर्धारण शुल्क धनराशि मु0 3,504/–को रसीद संख्या–333148655219 दिनांक 23.12.2025 व शमन शुल्क धनराशि मु0 2,000/–रूपये रसीद संख्या–333284645717 दिनांक 23.12.2025 द्वारा जमा कर दिया गया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुका है। इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।**

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया **धारा–**

138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र विचारण वाद संख्या–**524/2024** राज्य बनाम धर्मेन्द्र सिंह अन्तर्गत **धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003** बाबत मुकदमा अपराध संख्या–1019/2021 थाना–एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **धर्मेन्द्र सिंह**, आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–524/2024 **बाबत मुकदमा अपराध संख्या–1019/2021, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज** के आरोप अन्तर्गत **धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्त **धर्मेन्द्र सिंह** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक–03.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक–03.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489